...य वकील उपस्थित होकर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत पेश किया है। प्रार्थी के वकील की एक पक्षीय बहस अस्थाई निषेधाज्ञा बावत सुनी गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में सम्वत 2070–73 की जमाबंदी की नकल व शपथ पत्र पेश किया है, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में कयास आता है।

अतः आदेश है कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अम्र की जारी की जाती है कि आगामी तारीख पेशी 27.12.2019 तक प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित विवादित आराजी वाकेग्राम कंजौली तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है पर अप्रार्थी सख्या 01 को पाबंद किया जाता है कि रिकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। यदि इस आज्ञा बावत कोई आपत्ति हो तो दिनांक 27.12.2019 को अदालत हाजा में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थीगण जरिए सम्मन एवं नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. से की जाकर दि0 27.12.2019 को पेश हो। प्रार्थीयां द्वारा आदेशों की पालना में तलवी अप्रार्थी हेतु **Registered A.D** अन्दर 7 दिवस पेश न करने पर जारी शुदा एक पक्षीय **T.I.** स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

17.3.21 प्रार्थी स्व. प्रार्थी के [illegible]

F:\reveneu\Stay......docx

में जारी हुवे